Case No:- 15/2021
UCMS No:- 2021/84

21-5-21

पत्रावली आज पेश हुई।

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 19(1) RTI Act के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी अति० जिला कलक्टर ~~के~~ पाली के प्रस्तुत का वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी को आदेशित करने हेतु निवेदन किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली को जरिए पत्रांक 411-412 दि 15-3-21 को उक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु तथा प्रस्तुत विवरण हेतु लिखा गया। इस पर लोक सूचना अधिकारी पाली ने जरिए पत्रांक 569 दि 2-3-2021 के अवगत कराया कि उक्त सूचना, उप निदेशक सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग पाली से सम्बन्धित होने से उनको प्रेषित कर दी गई थी तथा उनके विभाग द्वारा जरिए पत्रांक 5181 दिनांक 6-1-2021 के बिन्दु सं० 1 से 6 तक की सूचना जो उपलब्ध कराने योग्य थी वो करा दी गई। शेष का जवाब प्रेषित कर दिया गया। अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस दिनांक 21-5-2021 का दिया गया। अपी० अनु० है। रामका अर्थ है कि इनके इस बारे में कुछ नहीं कहना है। सूचना डाक से प्रेषित करने हेतु नोटिस के पीछे लिखा है।

इस प्रकार वर्तमान में इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी की इस पर निस्तारित की जाती है।

पत्रावली बाद फैसला की जावे इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:34:55 IST
Reason: SelfAttested